फर्द अहकाम

………… मकान 592 रकबा 5 बीघा स्थित …
बताया कि आराजी ख.न. 592 रकबा 5 बीघा खातिक
ग्राम जटनगला में स्थित है। जिसके खसरा नं०
1111, 1112, 1116, 1113, 1114, 1115, 1509/1117 कुल किता 7
कुल रकबा 1.25 है० और हरि … विभाग के नवीन नम्बर
नम्बर किये गये है, यह खातिक आराजी सायल के बड़े
भाई व गैर सायल सं० 1 के पति और सायल न० 2 ता 5
के पति व गैर सायल न० 6 के नाना रमजानी को वर्ष
1975 मे भूमिहीन होने पर आवंटन हुआ था। रमजानी
खानदानी कर्ता था। और संयुक्त परिवार मे रहता है। उपरोक्त
पूर्व सायल व गैरसायल के आपसी बटवारा होने पर
भूमि का 1/5 - 1/5 पर सभी चारो भाई शांति पूर्वक काश्त
बिना रोक-टोक के कर रहे थे। वर्ष 2011 मे रमजानी
का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत मे नामान्तकरण
रमजानी के वारिसान यानि गैर सायल न० 1 ता 6
के नाम दर्ज हो गया इसके बाद सायल के भाई
मरफू का देहान्त हो जाने पर इसके वारिस अपने हिस्से
पर शांति पूर्वक काश्त कर रहे थे, परन्तु इसी समय
रमजानी के वारिसान की जमीनो की कीमते बढ़ने
पर मन मे बदनीयति आ जाने पर उक्त आराजी को
भू-माफियो एवं लट्ठ के बल पर बेचने पर आमादा
हो जाने पर हमें बेदखल करना चाहते है, दिनांक 28-6-16
को सायल अपने हिस्से 1/5 पर फसल बुवाई करने हेतु
खेत पर गया तो गैर सायल मौके पर आ गये। और
भूमि पर काश्त करने से मना कर दिया गया, भूमि से
बेदखल करने पर आमादा हो गये है। जिससे सायल
को अपूर्णीय क्षति होगी। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया
जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण जरिये
नोटिस तलब किया गया जिसमे गैर सायलान न० 1 ता० 8,
10 ता० 12 जरिये वकालतन उपस्थित आये और जवाब प्रा०पत्र
पेश किया गया, शेष की विधिवत तामिल होने पर उपस्थित
नही आये है। इनके खिलाफ आज एकतरफा कार्यवाही अमल
मे लाई जाती है। गैर सायल न० 1 ता० 8 व 10 ता 12 ने
जवाब प्रार्थना पत्र के अपने कथन मे सायल द्वारा
प्रस्तुत प्रा०पत्र मे अंकित तथ्यो को नकारते हुए भूमि ग्राम
जटनगला मे होना स्वीकार करते हुए कथन कहे कि
हमारे पिता रमजानी को सरकार द्वारा भूमिहीन होने पर
P.T.O.

(का)र्यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

1975 वर्ष में आवंटन की गई है। कभी भी भूमि पर सायल का कब्जा नहीं रहा है। रमजानी की मृत्यु हो जाने पर हम वर्तमान भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली की बहस सुनी, बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर अंदर सायलान मिला, यहाँ रमजानी पुत्र कजोड़ी के ग्राम जयमंगला में दिनांक 15-10-1975 को भूमिहीन होने पर राज्य सरकार ने साबिक ख०न० 592/73 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन किया गया था, जिसके हाल ख०न० 1111, 1112, 1116, 1113, 1114, 1115, 1509/1117 कुल किता 7 कुल रकबा 1.25 है० भू-प्रबंध विभाग ने कायम किये गये हैं। जहाँ पर सायल वकील का प्रार्थना पत्र व बहस में कथन था कि भूमि रमजानी खानदान की होने पर भूमि इनके नाम आवंटन होकर सभी चारों भाई आपस में काश्त आपसी बंटवारा से कर रहे थे, वहीं पर यह कि जो भूमि आवंटन राज्य सरकार करती है, वह आवंटन 1970 के नियमों के प्रावधानों के तहत होता है जिसमें पृथक से प्रार्थना पत्र पेश एक ही व्यक्ति अथवा सहखातेदारों के भरा जाकर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष होता है। इस प्रकरण में जो आवंटन प्रा० पत्र पेश किया गया है। इसमें नाम रमजानी पुत्र कजोड़ी द्वारा भरा गया है। जो अपने आप में यह भूमि रमजानी की स्वअर्जित भूमि हुई। यह पुश्तैनी नहीं खानदान की होना कोई गलत नहीं है। जो घर में कब्जा होता है वह कहीं खानदान होता है। किन्तु जब इस आवंटन को तकरीबन 40 वर्ष हो गये और रमजानी वर्ष 2011 में फौत हो गया तब ही सायल अपना हिस्सा बताकर रमजानी से अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम करा सकता था, इसके अतिरिक्त चार हिस्से बताये जा रहे वहीं पर अन्य भाईयों द्वारा ऐसा कोई वाद पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार सायल अपने आपके विवादित आराजी में प्रथमदृष्टया एवं सुविधा का संतुलन साबित करने नाकाम रहा है। तो कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं बनती है। किसी खातेदार को बिना दस्तावेजों के पाबंद नहीं किया जा सकता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र खिलाफ धारा 212 R.T. A खारिज किया जाता है। तमाम

P.T.O

Scanned by CamScanner

लय उप जिला कलेक्टर हि

फर्द अहकाम

न्यायालय मे जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दि० 4-7-16 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर मूल दावा मे हमशील की जावे।

निर्णय आज दिनाँक 20-1-2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश कुमार यादव
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 18:59:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: